(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली.बानसूर

पीठासीन अधिकारी: कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
इंतकाल अपील : 63/2023
तारीख रजू : 16.09.2023 निर्णय दिनांक :09.12.2024

उनवान

1. अभय सिंह पुत्र ओमकार
2. विजय सिंह पुत्र ओमकार
3. दलीप सिंह पुत्र सुलतान
4. दयानन्द पुत्र सुलतान
5. जले सिंह पुत्र रामसज्जन
6. पवन कुमार पुत्र रामसज्जन
7. रामसज्जन पुत्र रामलाल

समस्त जाति निवासी रैवाणा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
.....अपीलान्ट

बनाम

1. अनूप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति बावरिया
2. राजकुमाार पुत्र बिशम्भर जाति बावरिया

समस्त जाति बावरिया निवासी रैवाणा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ दिनांक 31.05.2022 पत्रावली संख्या 2/2021 जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र अनूपसिंह का गलत तौर से स्वीकार किया गया बमुराद मन्सुखी आज्ञा अदालत मातहत व स्वीकार फरमाये जाने अपील बाबत।

उपस्थित :

1. श्री संजय शर्मा अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री दुलीचन्द यादव अधिवक्ता रेस्पाडेन्टस की ओर से।

।। निर्णय।।

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 16.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई। बाद तलवी रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दुलीचन्द यादव द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को जाहिर करते हुए निवेदन किया रैस्पोंडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर अलवर को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नबर 45 रकबा 90 एयर, 46 रकबा 0.23 एयर, 47 रकबा 0.17 एयर कुल किता 3 रकबा 1.30 है० पर अभय सिंह पुत्र ओमकार जाति अहीर आदि ने नाजायज कब्जा कर रखा है। जिस प्रार्थना पत्र का श्रीमान् कलक्टर अलवर द्वारा जाच हेतु तहसीलदार नीमराना को भेजा गया। जिस पर तहसीलदार नीमराना ने हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें उक्त खसरा नंबरों पर उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अपीलांट द्वारा फसल काश्त करना एवं उक्त खसरा नबर 47 पर रिहायशी मकान बनाकर रिहायश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोट प्राप्त होने पर प्रकरण अंतर्गत धारा 183 बी राज०काश्त०अधि० में दर्ज कर अपीलांटान को नोटिस से तलब किया गया। अपीलांटान ने अधीनस्थ न्यायालय में विस्तृत जवाब इस आशय का पेश किया उक्त भूमि पर कब्जा नहीं किया है अपितु रैस्पोंडेंट के पूर्वजों एवं अपीलार्थी के पूर्वजों ने अपनी सहूलियत से कृषि करने को ध्यान में रखते हुये करीब 50 साल पूर्व आपस में जमीन का तबादला कर लिया था। जिसका दस्तावेज तबादलानामा भी पक्षकारान के मध्य लिखा गया था तथा अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 वाके ग्राम रैवाणा पर रैस्पोंडेंट का कब्जा है तथा जिस जमीन पर रैस्पोडेंट काश्त कर रहे हैं वह आराजी अपीलार्थीगण की है। अपीलार्थीगण ने अपनी उक्त जमीन को रैस्पोंडेंट की आराजी खसरा नंबर 45, 46, 47 कुल किता 3 रकबा 1.30 है0 पर 50 वर्षों से रैस्पोंडेंट व उसके पूर्वजों द्वारा किये गये तबादले पर रिहायश करते हुये काश्त किया जा रहा है। तबादला दस्तावेज दिनांक 30.06.2003 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान साक्ष्य दर्ज की। रैस्पोंडेंट की ओर से केवल रैस्पोंडेंट की साक्ष्य व गवाह राजकुमार के बयान नहीं हुये व अपीलांट की ओर से लीलाराम, निराकार, देशराज रामसज्जन, सूरत व अभय सिह के शपथपत्र पेश किये गये। परंतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुये शपथ पत्रों पर कोई जिरह रैस्पोंडेंट से नहीं कराई, जिस कारण उन शपथपत्रों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा गया। तबादलानामा दिनाक 30.06.2003 पर सही प्रकार से गौर नहीं किया गया तथा रैस्पोंडेंट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये आराजी खसरा नबर 45, 46, 47 रकबा 1.30 है० वाके ग्राम रैवाणा से अपीलार्थीण को कब्जा हटवाने के आदेश देते हुये धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत बेदखली के आदेश फरमाये गये हैं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेज तबादलानामा दिनांक 30.06.2003 पर कोई गौर नहीं किया गया। तबादलानामा एक अविवादित दस्तावेज है न्यायालय के समक्ष दर्ज हुई केवल एकमात्र साक्ष्य में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आराजी खसरा नंबर 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 वाके ग्राम रैवाणा पर 4 एयर भूमि को मैं जोत रहा हूँ गवाह ने अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया है कि उक्त खसरा नबरों की भूमि में हमारा, राजपूतों व अहीरों का हिस्सा है। अहीरों में रामसजन, अभय सिंह, विजय, दयासिंह आदि की जमीन मेरे चाचा, ताऊ जोत रहे हैं जो 20–22 वर्षों से जोत रहे है। एल.आर एक्ट की धारा 91 के अंतर्गत बेदखल कर शास्ति भू० राजस्व लगान 6.5 का पचास गुना 325 रूपये आरोपित के आदेश भी गलत पारित किये हैं जबकि उक्त केस पर धारा 91 एल.आर.एक्ट कतई लागू नहीं होता है मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलततौर से निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार नीमराणा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 निरस्त फरमाया जावें।

वकील रेस्पोडेन्टस ने उपस्थित होकर वकील अपीलाण्ट के कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित तबादलानामा पर लक्ष्मणसिंह के फर्जी हस्ताक्षर किया जाकर पेश किया है जिसके संदर्भ में एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। उक्त दस्तावेज में रिक्त स्थान है जिनमें कोई खसरा नम्बर नही लिखा हुआ है। इस तबादले का स्टाम्प सुलतान ने लिया है अर्थात खातेदार बिशम्भर के कहीं पर भी हस्ताक्षर नही है। तथा अपीलाण्ट के सभी खातेदारों के भी हस्ताक्षर नही है अर्थात उक्त दस्तावेज फर्जी है। जिसकी आड़ में अपीलाण्ट के द्वारा रैस्पोडेण्ट की पैतृक भूमि पर जबरन नाजायद कब्जा कर रखा है यदि यह तबादला जो अपील में लेकर आये है उसका अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलाण्ट के पास रैस्पोडेण्ट की भूमि से तबादला करने हेतु पर्याप्त भूमि उनके हिस्से में नही है। वकील रैस्पोडेण्ट ने अपनी जिरह में जाहिर किया कि रैस्पोडेण्ट के पास तहत न्यायालय में जो 4 ऐयर जमीन

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

यादवों की होना स्वीकार किया है, के संबंध में जमाबंदी का अवलोकन कराते हुए बताया कि सहखातेदारी की भूमि में रैस्पोडेण्ट के पिता खातेदार काश्तकार है जो जमाबंदी में खसरा नम्बर 479, 480 के क्रमांक 22 नम्बर पर खातेदार लक्ष्मणसिंह है जो रैस्पोडेण्ट के पिता है तथा उनके हिस्से में 4 ऐयर भूमि आती है, जिस पर काबिज है। प्रकरण बहस के दौरान स्वयं अपीलाण्ट ने कहा है कि बुजूर्गो ने तबादला मौखिक रूप से किया था, लिखित नही है। इस स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा दायर अपील श्रवण योग्य नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2022 को निर्णय पारित किया गया है, जो सही प्रतीत होता है। चूंकि अपीलाण्ट के द्वारा आपसी तबादला को लेकर यह अपील पेश की है जो कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नही है एवं रैस्पोडेण्ट के नाम भूमि खातेदारी में दर्ज होना बखूबी साबित होती है, जो अन्य वर्ग के व्यक्तियों को बेचान/आपसी तबादलानामा करने से प्रतिबंधित भूमि है। इस प्रकार तहत के द्वारा पारित आदेश विधिवत कार्यवाही किया जाना साबित होता है। अपीलान्ट के द्वारा वर्णित तथ्य प्रकरण में चस्पा नहीं होने व वकील रेस्पोडेण्ट की बहस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होती है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। तहत की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड